न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुश्री नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

प्रा0 पत्र संख्या	तारीख दायर	तारीख निर्णय
1/596	22.12.2020	09.07.2025

बउनवान

01. चरण सिंह पुत्र स्व0 श्री रामदयाल जाति जाट निवासी ग्राम कलसाडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर

प्रार्थी

बनाम

01. रामकिशोर पुत्र रामकुंवार जाति जाट निवासी ग्राम कलसाडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर

असल अप्रार्थी

02. चन्द्रकला पुत्री रामदयाल पत्नी अजीत जाति जाट
03. रूपकला पुत्री रामदयाल पत्नी मम्मी उर्फ सूरजमल जाति जाट
04. लाली पुत्री रामदयाल पत्नी बलवीर निवासीयान ग्राम मालाखेडा
05. गुडडी पुत्री रामदयाल पत्नी शिवप्रसाद जाति जाट निवासी धोलापलाश

तरतीबी अप्रार्थीगण

06. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मालाखेडा

भूमिधारी तकमीली अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क), राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क), राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। प्रार्थना पत्र का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 772 रकबा 0.01 हैक्टेयर, गैर मु0 चाह 773 रकबा 0.42 हैक्टेयर, 776 रकबा 0.01 हैक्टेयर, गैरमुमकिन रास्ता कुल किता 3 कुल रकबा 0.44 हैक्टेयर वाके ग्राम कलसाडा तहसील मालाखेडा प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण काबिज काश्तकार है। प्रार्थी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 773 रकबा 0.42 हैक्टेयर, मे प्रार्थी रिहायश मकान बनाकर रह रहा है। हाल आराजी खसरा नम्बर 775 रकबा 0.02 हैक्टेयर गैरमुमकिन रास्ता असल अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। असल अप्रार्थी की खातेदारी की हाल आराजी खसरा नम्बर 775 रकबा 0.02 हैक्टेयर की दक्षिणी उत्तरी डोल से होकर प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी हाल खसरा नम्बर 772 रकबा 0.01 हैक्टेयर, गैरमुमकिन चाह व खसरा नम्बर 773 रकबा 0.42 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 776 रकबा 0.01 हैक्टेयर, गैरमुमकिन रास्ता किता 3 कुल रकबा 0.44 हैक्टेयर के 12 फुट चौडा रास्ता मौके पर अर्सेदराज से सरासर जारी रास्ते का उपयोग उपभोग हर प्रकार से प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण करते चले आ रहे है। प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण से पूर्व उक्त रास्ते का उपयोग–उपभोग पूर्वज करते थे। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण की उक्त आराजी के लिये अन्य कोई

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज0

वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध नही है। लेकिन अब बतौर बदयान्ति उक्त रास्ता मे आवागमन बन्द करने के उद्देश्य से अप्रार्थीगण ने मौके पर बाड, कांटा आदि लगाकर कर अवरूद्व कर प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण का आवागमन बंद कर दिया है। जिससे प्रार्थी व अप्रार्थीगण को अपनी उक्त खातेदारी की आराजी के कुल कार्य काश्तकारी करने व अपने रिहायशी मकान पर आने–जाने मे भारी परेशानी हो रही है। उपरोक्त वर्णित सूरत मे उक्त रास्ते की अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था या अन्य रास्ता ना होने के कारण प्रार्थी व अप्रार्थीगण तरतीबी उक्त गैर मुमकिन रास्ता को अप्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि से निकलवाकर उसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे आम रास्ता दर्ज करवाना चाहते है जिस बाबत प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण डीएलसी दर से उक्त रास्ता के रकबे की कीमत जमा कराने को तैयार है। प्रार्थी ने असल अप्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की हाल आराजी खसरा नम्बर 775 रकबा 0.02 हैक्टेयर, वाके ग्राम कलसाडा की दक्षिणी उत्तरी डौल मे दर्ज गैर मुमकिन रास्ता से होकर प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण की खातेदारी हाल आराजी खसरा नम्बर 772 रकबा 0.01 हैक्टेयर, गैर मुमकिन रास्ता कुल किता 03 कुल रकबा 0.44 हैक्टेयर, वाके ग्राम कलसाडा को 12 फुट चौडा रास्ता के उपयोग–उपभोग मे किसी भी प्रकार की बाधा पैदा ना करने रास्ते को अवरूद्व ना करने, तथा प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण को उक्त रास्ते से ट्रेक्टर ट्रोली, व अन्य कृषि उपकरण, फसल लाने मे किसी प्रकार की बाधा पैदा नही करने बाबत अप्रार्थी असल को पाबन्द फरमाया जावे। अन्य आज्ञा व अनुतोष जो उचित व न्याय संगत हो बहक प्रार्थी खिलाफ असल अप्रार्थी पारित व प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण तलब किये गये। अप्रार्थीगण की तरतीबी संख्या 2 लगायत 5 ने इकबाल जवाब पेश किया। असल अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थी ने गलत तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण के पास अपने खेतो व रिहायश आने–जाने हेतु आराजी खसरा नम्बर 775 व 776 मे से जाने का रास्ता है जिसका राजस्व रिकार्ड मे अंकन हो रखा है। अप्रार्थी के आराजी खसरा संख्या 775 मे 12 फुट चौडा रास्ता मौके पर मौजूद है जिस पर अप्रार्थी द्वारा कभी कोई रूकावट पैदा नही की गयी। जब प्रार्थीगण के पास अपनी रिहायश व खेतो पर जाने का रास्ता पूर्व से ही है तो प्रार्थीगण का धारा 251 (क) के प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नही है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के प्रावधान तभी लागू होते है जब किसी व्यक्ति के पास अपना स्वंय का कोई आने–जाने का रास्ता नही हो।

तहसीलदार मालाखेडा से प्रार्थना पत्र मे वर्णित विवादित आराजी की मौके की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार मालाखेडा ने अपनी मौका रिपोर्ट मे अंकित किया है कि "आराजी खसरा नम्बर 775 रकबा 0.02 हैक्टेयर किस्म गैरमुमकिन रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसमे मौके पर रास्ता बना हुआ है।"

उभय पक्ष की बहस सुनी।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार मालाखेडा की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) मे अन्य खातेदार को जब नवीन रास्ता की आत्यान्तिक आवश्यकता की स्थिति मे ही दिये जाने का प्रावधान है ओर यह जोत के केवल सुविधा जनक उपयोग के लिये नही है। अन्य खातेदार की जोत मे होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले मे पहुँचने के लिये वैकल्पिक साधन

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

का अभाव सिद्व करने मे प्रार्थीगण असफल रहा है। तहसीलदार मालाखेडा की रिपोर्ट के अनुसार विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 775 रकबा 0.02 हैक्टेयर ग्राम कलसाडा की उत्तरी डौल से गैरमुमकिन रास्ते का अनुतोष चाहा है। आराजी हाल खसरा नम्बर 775 रकबा 0.02 हैक्टेयर वाके ग्राम कलसाडा मे पूर्व से ही मौके पर चालू रास्ता मौजूद है। उक्ता रास्ता आवागमन के लिये पर्याप्त है तथा पूर्व मे ही राजस्व रिकार्ड मे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पोषनीय नही होने पर खारिज किया जाता है।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

निर्णय आज दिनांक 09.07.2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०